न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—163 सन् 2021

अवध किशोर सिंह वगैरह.......................................वादीगण।

बनाम

चंद्रकेत नारायण सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक—28.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.11.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि दिनांक 19.05.2022 के आदेश फलक देखने से ज्ञात हुआ है कि जो बयान तहरीरी प्रवितादी की ओर से दाखिल की गई है वह लिमिटेशन एक्ट के कारण वादपत्र में प्रतिवादी सं0 03 विनोद कुमार शर्मा दिल्ली में नौकरी करता है इसलिए बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब हो गया है। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुए बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी बयान तहरीरी ग्रहण करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 03 विनोद कुमार शर्मा को दिल्ली रहने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने में थोड़ा विलंब हुआ है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्राह्य करना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी ग्राह्य करने हेतु दाखिल आवेदनदिनांक 16.11.2022 को 1000/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि नजारत 'बिहार सरकार' के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....................को 89 सी0पी0सी के अंतर्गत नियत किया जाता है।

सब जज

सोनपुर, सारण।